महत्वपूर्ण / अतिआवश्यक (14)

उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल जवाहर भवन लखनऊ 226001
ईमेल : tshq@up.nic.in
वेब साइट: https://uppolice.gov.in/

दिनांक: अप्रैल , 2014

पत्र सं0 टीएससी– 29 / 2014

सेवा में

पुलिस महानिरीक्षक समस्त जोन / पुलिस उपमहानिरीक्षक समस्त परिक्षेत्र
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक जनपद उ0प्र0 पुलिस ।

विषय: **महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों में पुलिस को अधिक संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाने हेतु, जनसामान्य को उक्त अपराधों को ऑन लाइन रिपोर्ट करने के प्रावधान पर कार्यवाही विषयक** ।

कृपया पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पुलिस के परिपत्र सं0 डीजी–24 / 2014 दिनांक 9.4.14 जो कि महिलाओं को प्रदेश में सुरक्षित महसूस कराने के लिये, महिलाओं के विरूद्ध घटित अपरोधों को जन सामान्य द्वारा रिपोर्ट करने की सुविधा हेतु एवं पुलिस को उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही हेतु उत्तरदायी बनाने विषयक कार्यवाही में उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट https://uppolice.gov.in/ पर एक Report Crime Against Women नाम से लिंक सिटीजन सर्विसेज में मुख्य पेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित कराते हुये कार्यवाही हेतु है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

इस अनुभाग में जनपदीय पुलिस स्तर से होने वाली कार्यवाही के लिये एक स्टेन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) आपकी सुविधा के लिये तैयार किया गया है, जिससे बिना किसी विरोधाभास के कार्यवाही करते हुये वेबसाइट पर सूचना अपलोड की जा सके ।

इसके लिये आवश्यक होगा कि प्रत्येक जनपद स्तर पर जिन **राजपत्रित अधिकारी** को पुलिस वेबसाइट पर अपलोडेड सूचनायें प्राप्त करने का **उत्तरदायित्व** दिया गया है वे इस एसओपी की प्रति रखें एवं इस पर गहनता से विचार करते हुये, निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करें । साथ ही वेबसाइट के लिये जनपदीय स्तर पर नियुक्त वेबसाइट के नॉडल अधिकारी के पास भी एसओपी की प्रति उपलब्ध रहे एवं इसको फॉलो करते हुये ही वे भी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक :

1. स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
2. वेबसाइट के नॉडल अधिकारियों की सूची

(संदीप सालुन्के)
पुलिस महानिरीक्षक
तकनीकी सेवायें लखनऊ।

Standard Operating Procedure (SOP)

1- सर्व प्रथम उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट के Report Crime Against Women मेन्यू के अन्तर्गत जन सामान्य द्वारा कम्प्लेंट रिपोर्ट होते ही जनपदीय प्रभारी पुलिस अधीक्षक/ महिला अपराधो हेतु राजपत्रित नॉडल अधिकारी एवं वेबसाइट के नॉडल अधिकारी के पास उनके सीयूजी नम्बर पर एसएमएस से एलर्ट आयेगा।

2- जनपदीय प्रभारी पुलिस अधीक्षक अपलोडेड कम्प्लेंट को उपरोक्त मेन्यू पर क्लिक कर अन्दर View complaints पर क्लिक कर समस्त अपलोडेड कम्प्लेंट देख पायेंगे। यहां पर दिखाई पडने वाली शिकायत एडमिन द्वारा एडिटेड होगी अर्थात इसमें नाम, फोन नम्बर, पता इत्यादि छुपे होंगे।

3- मूल कम्प्लेंट को जनपद स्तर पर नियुक्त वेबसाइट के नॉडल अधिकारी वेबसाइट को लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे।

4- वेबसाइट के नॉडल अधिकारी कम्प्लेंट को जनपद स्तर पर उक्त कार्य के लिये नियुक्त राजपत्रित नॉडल अधिकारी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजेंगे।

5- राजपत्रित नॉडल अधिकारी स्वयं अथवा अन्य कार्मिक को कम्प्लेंट की आवश्यकतानुसार जांच टीम को सौंपेगे। इस स्तर से ही कम्प्लेंट पर कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी, जिसे प्रत्येक दिवस प्रगति अनुसार वेबसाइट पर उक्त कम्प्लेंट पर कार्यवाही Action के रूप में अपलोड की जायेगी। यहां यह ध्यान रखा जाये कि जांच कम से कम दो कार्मिको की टीम गठित कर सौंपी जाये एवं यथा सम्भव इस टीम में एक महिला कामिर्क को रखा जाये।

6- जांच सौंपे जाते ही उक्त तथ्य भी कार्यवाही के रूप में तत्काल वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा। उदाहरणतया- " दिनांक .... उक्त कमप्लेंट अमुक टीम को तत्काल पीडिता से सम्पर्क हेतु सौंपी गयी"

7- जांच अधिकारी द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये प्रथम दिवस में जो भी रिपोर्ट दी जायेगी उसका सार तत्काल अपलोड कराया जायेगा। इसमें विस्तार से विवरण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि त्वरित पुलिस के मूवमेंट को भी प्रदर्शित कराया जाना अपेक्षित है।

P.T.O.

दूसरा पृष्ठ पलटें

8- पुलिस का मौके पर जाना, पार्टी के बयान लेना, घटना की सत्यता की जानकारी करना अथवा अन्य किसी प्रकार की जो भी कार्यवाही की जायेगी प्रतिदिवस वेबसाइट पर दिनांक अंकित करते हुये दिनांक वाइज अपलोड कराई जायेगी।

9- वेबसाइट पर कार्यवाही को अपलोड कराने हेतु राजपत्रित नॉडल अधिकारी स्वयं अपलोड किये जाने वाली भाषा, सेन्टेन्स इत्यादि स्वयं लिखकर वेबसाइट के नॉडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे , जिससे पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित होने वाली सूचना सही एवं संतुलित हो।

10- जनपदीय पुलिस प्रभारी अधीक्षक भी उक्त अपलोडेड एक्शन को वेबसाइट पर View Complaints में स्वयं चैक करेंगे।

11- कम्प्लेंटस पर जो भी कार्यवाही पुलिस द्वारा अपलोड की जायेगी, उस पर कम्प्लेंनेट द्वारा फीड बैक प्राप्त किये जाने का भी प्रावधान है यदि कम्प्लेंनेट पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होता है, तो वेबसाइट पर ही दिखाई देगा, जिस पर जनपद के राजपत्रित नॉडल अधिकारी तत्काल कार्यवाही की समीक्षा करेंगे एवं स्वयं शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करेगे एवं कार्यवाही का सार वेबसाइट पर दिनांक के साथ अपलोड करायेंगे।

12- प्रत्येक फोर्टनाइटली उक्त कार्य की समीक्षा रेंज स्तर पर एवं माहवार समीक्षा जोन स्तर पर क्रमश: पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र एवं पुलिस महानिरीक्षक जोन द्वारा की जायेगी।

13- प्रदेश स्तर पर समस्त अपलोडेड कम्प्लेंटस की समीक्षा सीबी सीआईडी की महिला प्रकोष्ठ की अधीक्षक द्वारा की जायेगी एवं उनके द्वारा माहवार समीक्षा रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष रखी जायेगी।